प्राथमिकता

संख्या : 4237/69-1-2001-8(एल)/2001

प्रेषक,

श्री एस0 आर0 लाखा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

लखनऊ: दिनाँक- 19 अक्टूबर, 2001

विषय : विमुक्त स्वच्छकारों को स्वत: रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही है कि केन्द्रीय अधिनियम सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है तथा दिनांक 03 नवम्बर, 2001 से प्रदेश में उक्त अधिनियम प्रभावी हो जायेगा। मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के परिपत्र संख्या : 3205/69-1-2001-4(एल)/2001 टी. सी. दिनांक 13 अगस्त, 2001 के माध्यम से तत्सम्बन्धी स्वच्छकारों का सर्वेक्षण कराये जाने के निर्देश पूर्व में ही निर्गत किये गये है एवं अधिकांश जनपदों में सर्वेक्षण का कार्य सम्पन्न भी हो चुका है। प्रश्नगत अधिनियम को लागू होने पर शासन द्वारा जहां पर शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित कराने एवं शुष्क शौचालयों के निर्माण को प्रतिबन्धित करने के लिये नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है, वहीं पर विमुक्त हुये स्वच्छकारों को स्वरोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने हेतु भी कटिबद्ध है। यद्यपि की केन्द्र सरकार की स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को देखते हुये पात्र स्वच्छकारों को भी स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराये जा रहे है लेकिन इस योजना के अन्तर्गत कुछ स्वच्छकारों के लाभान्वित होने से वंचित रहने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पात्र स्वच्छकार भी अनुदान की सीमित धनराशि के कारण भी वंचित हो सकते है। ऐसे स्वच्छकारों को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन योजना तथा सेनेटरी मार्ट योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कराया जा सकता है।

अत: अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित उक्त योजना के अन्तर्गत परियोजना निदेशकं/परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण को निर्देशित करें कि ऐसे विमुक्त स्वच्छकारों की सूची अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी/जिला प्रबन्धक, समाज कल्याण को उपलब्ध करायें जो योजना की शर्तो के अनुरूप इन स्वच्छकारों के आवेदन पत्र तैयार कराकर बैंकों को प्रेषित करायेंगे। यह भी अनुरोध है कि विमुक्त स्वच्छकारों को अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित उक्त योजनान्तर्गत बैंकों को प्रेषित आवेदन पत्रों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा भी जिला स्तरीय बैंकिंग सलाहकार समिति में की जाये।

भवदीय,

(एस0 एस0 लाखा)
सचिव

संख्या-4237/69-1-2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस संबंध में अपने स्तर से भी आदेश निर्गत कराने का कष्ट करें, ताकि विमुक्त हुए स्वच्छकारों को अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कराया जा सके।

2. प्रतिलिपि निदेशक, राज्य नागर विकास अभिकरण, लखनऊ।

(एस0 आर0 लाखा)
सचिव।

स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन योजना :-

(अ) बैंकवुल योजना :

क. योजना का स्वरूप : स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन योजना वित्तीय वर्ष 1992-93 से प्रारम्भ की गयी। इस योजना में किसी जाति, सम्प्रदाय तथा आय का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। भारत सरकार के पुनरीक्षित दिशा-निर्देश दिनांक 31.5.1996 के द्वारा केवल शुष्क शौचालयों में कार्य करने वाले स्वच्छकार एवं उनके आश्रितों को ही पात्रता की श्रेणी में रखने के फलस्वरूप प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों द्वारा पुनर्सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें 48,588 स्वच्छकार एवं उनके आश्रित पात्र पाये गये।

ख. वित्त पोषण : इस योजनान्तर्गत परियोजना लागत की 50 प्रतिशत धनराशि अथवा रु0 10,000/- अनुदान के रूप में परियोजना लागत की 15 प्रतिशत धनराशि मार्जिन मनी ऋण के रूप में 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाती है।

ग. प्रगति : इस योजनान्तर्गत योजना के प्रारम्भ से वित्तीय वर्ष 2000-2001 तक 179183 स्वच्छकार एवं उनके आश्रितों को रु0 17846.41 लाख अनुदान रु0 5417.20 लाख मार्जिन मनी ऋण तथा रु0 13364.09 लाख बैंक ऋण वितरित किया गया।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रश्नगत योजनान्तर्गत लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

(ब) सेनेटरी मार्ट योजना :-

क. योजना का स्वरूप

सेनेटरी मार्ट एक ऐसा बाजार है जहाँ से सामान्य व्यक्तियों की स्वच्छता सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है यह उत्पादन केन्द्र दुकान एवं सेवा केन्द्र तीनों के रूप में कार्य करता है। उत्पादक के रूप में सेनेटरी मार्ट शौचालयों के निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्रियों तथा स्वच्छता सम्बन्धी जैसे धन, ट्रैप, फुटरेस्ट, फिनायल, ब्रश आदि का उत्पादन करता है। दुकान के रूप में यह स्वच्छता सम्बन्धी सामग्रियों का विक्रय करता है जिनमें शौचालयों में प्रयोग होने वाली आवश्यक समस्त सामग्रियों यथा सेनेटरी पेन, ट्रैप, पिट कवर्स तथा स्वच्छता सम्बन्धी अन्य सामग्रियों यथा साबुन टायलेट ब्रश, ब्लचिंग पाउडर, फिनायल तथा झाड़ू आदि सम्मिलित है। सेवा केन्द्र के रूप में शौचालयों के निर्माण तथा तत्सम्बन्धी आवश्यक जानकारी एवं सलाह देने का कार्य सेनेटरी मार्ट द्वारा किया जाता है। अतः सेनेटरी मार्ट की अवधारणा उत्पादन, विपणन तथा सेवा सम्बन्धी कार्यों के माध्यम से वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने पर आधारित है। योजनान्तर्गत 5-30 स्वच्छकारों के समूह गठित किये जाने की व्यवस्था है।

ख. प्रगति

वित्तीय वर्ष 2000-2001 में 169 मार्ट के सापेक्ष मार्च, 2001 तथा 151 सेनेटरी मार्ट का संचालन किया जा सका

है जिस पर कुल रू0 241.14 लाख का व्यय हुआ है जिसमें रू0 122.10 लाख अनुदान रू0 42.70 लाख मार्जिन मनी, रू0 95.70 लाख राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम का ऋण सम्मिलित है। सेनेटरी मार्ट में कुल 1208 व्यक्ति कार्यरत है ।

चालू वित्तीय वर्ष 2001-2002 में इस योजनान्तर्गत माह- अगस्त, 2001 तक 19 मार्ट के गठन की कार्यवाही कर 12 मार्टो का संचालन रू0 6.00 लाख अनुदान, रू0 4.50 लाख मार्जिन मनी ऋण तथा रू0 8.86 लाख ऋण व्यय कर किया जा रहा है।

म. स्वच्छकार तथा उनके आश्रितों के लिये राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से विक्रम टैम्पो (यात्री/लोड) योजना :-

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों के लिये चालू वित्तीय वर्ष 2001-2002 में वाहन योजना का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है। राष्ट्रीय निगम द्वारा प्रथम चरण में 100 विक्रम टैम्पो (यात्री/लोड) स्क्रेबरयुक्त हेतु रू0 124.40 लाख के ऋण राशि स्वीकृत कर निगम को उपलब्ध कराया जा चुका है। योजना की प्रति इकाई लागत रू0 1.60 लाख, जिसमें रू0 1,51,500/- वाहन की लागत, शेष धनराशि वाहन के बीमा, पंजीकरण तथा पथकर आदि के लिये है। लाभार्थी को स्वीकृत किये जाने वाले वाहन ऋण में ऋण की कुलराशि का एक प्रतिशत अर्थात रु0 1,600/- लाभार्थी अंश, रू0 10,000/- अनुदान (6.25 प्रतिशत) 15 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण रू0 24.000/- तथा शेष धनराशि रू0 1,24,400/- (77.75 प्रतिशत) राष्ट्रीय निगम के ऋण का अंश सम्मिलित है। लाभार्थी को स्वीकृत ऋण राश में से मार्जिन मनी ऋण पर 4 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज तथा राष्ट्रीय निगम के ऋण की राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लिया जायेगा। ऋण की वसूली 60 मासिक किस्तों में की जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय निगम के स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों को यातायात की योजना में वित्त पोषित कराकर वैकल्पिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के ध्येय से 60 जीप तथा 100 ट्रैक्टर ट्राली का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। उपरोक्त प्रेषित प्रस्तावों मे से प्रथम चरण में 10 जीपों की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

3. शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजना : स्वच्छकारो हेतु 5% आरक्षित

(क) योजना का स्वरूप : प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में 8 फिट x 10 फिट साइज की दुकानों कानिर्माण कराकर अनुसूचित जाति के उद्यमियों को व्यवसाय एवं सेवा के क्षेत्रों में स्वरोजगार स्थापित करने हेतु वित्त पोषित किया जाता है तथा कार्यशील पूंजी निगम की स्वत: रोजगार योजनान्तर्गत बैंकों के सहयोग से उपलब्ध कराई जाती है। दुकानों का निर्माण यथासम्भव लाभार्थियों की निजी भुमि पर उन्हीं के माध्यम से किश्तों में धनराशि उपलब्ध कराकर कराया जाता है। जिन लाभार्थियों के पास निजी भूमि दुकान निर्माण हेतु उपलब्ध नही है, उन्हें प्रति दुकान स्थल क्रय हेतु रू0 5,000/- दिये जाने का प्राविधान है।

(ख) वित्त पोषण : इस योजनान्तर्गत मैदानी क्षेत्रों में प्रति दुकान निर्माण लागत रू0 38,000/- काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में रू0 40.700/- तथा पहाड़ी क्षेत्र में रू0 38,000/- ऊंचाई के अनुसार निर्धारित की गयी है। उक्त निर्माण लागत में रू0 6,000/- अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याजमुक्त ऋण के रूप में दी जाती है जो 10 वर्षो में वसूल की जाती है। कुल लक्ष्य का 5% स्वच्छकार एवं उनके आश्रितों हेतु प्रति सुनिश्चित की जाती है।

(ग) प्रगति : वित्तीय वर्ष 2001-2002 में 2000 दुकानों का लक्ष्य है। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष्य 886 स्थलों का चयन कर 100 स्थलों पर दुकानों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया है। साथ ही गत वर्ष की निर्माणाधीन 439 दुकानों के सापेक्ष्य 328 दुकानों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। प्रश्नगत योजनान्तर्गत माह-अगस्त, 2001 तक कुल रू0 86.47 लाख व्यय किया जा चुका है।

4. प्रशिक्षण योजनायें :

निगम के माध्यम से अनुसूचित जाति के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों में कौशल वृद्धि हेतु निम्नलिखित प्रशिक्षण योजनायें संचालित है :-

(क) टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण योजना : प्रदेश के 21 जनपदों में यह योजना संचालित है। इस योजनान्तर्गत टंकण प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष निर्धारित है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान टंकण में रू0 50/- तथा आशुलिपि में रू0 100/- प्रतिमाह वृत्तिका प्रदान की।

(ख) हथकरघा/बढ़ईगीरी प्रशिक्षण योजना : प्रदेश के 11 जनपदों में 12 हथकरघा प्रशिक्षण केन्द्र तथा बढ़ईगीरी के 2 प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण की अवधि 6 माह निर्धारित है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को रू0 100/- मासिक वृत्तिका प्रदान की जाती है।

(ग) प्रगति : उक्त प्रशिक्षण योजनान्तर्गत वर्ष 2000-2001 तक 22298 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रू0 254.64 लाख व्यय किया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष 2001-2002 में 936 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है जिस पर रू0 11.76 लाख व्यय हो चुका है।

कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजना

वित्तीय वर्ष 2001-2002 में अनुसूचित जाति तथा स्वच्छकार एवं उनके आश्रितों को कौशल वृद्धि हेतु विभिन्न ट्रेडों यथा कम्प्यूटर, ट्रैक्टर मरम्मत, सिलाई-कढ़ाई, मोटर ड्राइविंग, कुक एवं वेटर तथा मालीगीरी आदि में कुल 25,275 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुये रू0 4061.92 लाख व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

5. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम (अनुविनि) द्वारा वित्त पोषित योजनायें

योजना का स्वरूप :

अनुविधि के सहयोग से संचालित योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बेरोजगार एवं गरीब व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान हेतु आसान ब्याज दर पर (7 प्रतिशत वार्षिक) सीधे ऋण की सुविधा निगम द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान में संचालित/प्रस्तावित योजनाओं का स्वरूप निम्नवत है :-

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजना का नाम	स्वीकृत/प्रस्तावित इकाई	यूनिट कास्ट	प्रति इकाई लागत			
				अनुदान	महा मा0	अनुदान तिथि	लाभार्थी अंश
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जीप टैक्सी	50	4.20	0.10	0.07	3.00	0.13
2.	टाटा सूमो	50	4.25	0.10	1.02	3.00	0.13
3.	इलेक्ट्रिकल मेन्टनेन्स शाप	215	0.66	0.10	0.06	0.50	
4.	प्लम्बरिंग शाप	80	0.70	0.10	0.07	0.53	
5.	आटा चक्की	400	0.56	0.10	0.09	037	
6.	टी0वी0/रेडियो	170	0.66	0.10	0.05	0.50	
	रिपेयर शॉप						
7.	आटोमोबाइल शॉप	120	0.70	0.10	0.07	0.53	
8.	रिक्शा/ठेला	3185	0.06	0.03		0.03	
9.	पी0सी0ओ0	700	0.86	0.10	0.15	0.60	
10.	ट्रैक्टर ट्राली	100	344	0.10	0.85	7.39	0.10